न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 283/2022

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

मालाराम पुत्र सवाराम उम्र 77 वर्ष जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

1.अर्जूनराम पुत्र पुरखाराम उम्र 38 वर्ष
2. कदणोदेवी पत्नि पुरखाराम उम्र 70 वर्ष
3. कपूराराम पुत्र मावाराम उम्र 40 वर्ष
4. पाबूराम पुत्र पुरखाराम उम्र 45 वर्ष
5. बाबूलाल पुत्र मावाराम उम्र 46 वर्ष
6. रूखमोदेवी पत्नि मावाराम उम्र 60 वर्ष
7. लाखाराम पुत्र मावाराम उम्र 55 वर्ष
8. वोताराम पुत्र रिड़मलराम उम्र 38 वर्ष
9. शंकरलाल पुत्र मावाराम उम्र 35 वर्ष
10. सोनाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 55 वर्ष
11. पेमाराम पुत्र सवाराम उम्र 70 वर्ष
12. अनाराम पुत्र भारताराम उम्र 55वर्ष
13. करनाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 60 वर्ष
14. कालूराम पुत्र भारताराम उम्र 45 वर्ष
15. जैसाराम पुत्र कुम्पाराम उम्र 23 वर्ष
16. देवाराम पुत्र कुम्पाराम उम्र 32 वर्ष
17. मूलाराम पुत्र सवजीराम उम्र 75 वर्ष
18. मेहराराम पुत्र मानाराम उम्र 70 वर्ष
19.मांगाराम पुत्र वगताराम उम्र 70 वर्ष
20. मोटाराम पुत्र भारताराम उम्र 70 वर्ष
21.मोहनराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 32 वर्ष
22. गोवाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 55 वर्ष
23.बुधाराम पुत्र मानाराम उम्र 55 वर्ष
24. लालाराम पुत्र मानाराम उम्र 70 वर्ष
25. वोहताराम पुत्र रिडमलराम उम्र 40 वर्ष
26. हुकमाराम पुत्र भारताराम उम्र 60 वर्ष
27. सोनाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 55 वर्ष
28. नारणाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 65 वर्ष
29. प्रागाराम पुत्र सवजीराम उम्र 55 वर्ष

जातियान कुम्हार (प्रजापति) मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ।

30. आम्बाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 40 वर्ष
31. ईसराराम पुत्र देवीराम उम्र 40 वर्ष
32. ईसराराम पुत्र चेलाराम उम्र 45 वर्ष
33. उकाराम पु सुजाराम उम्र 32 वर्ष
34.ओमाराम पुत्र करनाराम उम्र 32 वर्ष
35.करनाराम पुत्र मांगाराम उम्र 40 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

36. केशाराम पुत्र गंगदाराम उम्र 40 वर्ष
37. केसीदेवी पत्नि लिखमाराम उम्र 60 वर्ष
38. किस्तुराराम पुत्र कूंपाराम उम्र 38वर्ष
39. खीमाराम पुत्र कुपाराम उम्र 40 वर्ष
40. गोपीराम पुत्र चेनाराम उम्र 55 वर्ष
41.चेतनराम पुत्र सुजाराम उम्र 23 वर्ष
42. चेतनराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 22 वर्ष
43.चतराराम पुत्र भलाराम उम्र 23 वर्ष
44. झमुदेवी पत्नि प्रतापाराम उम्र 45 वर्ष
45. दुदाराम पुत्र करनाराम उम्र 23 वर्ष
46. दीपाराम पुत्र चेलाराम उम्र 45 वर्ष
47. धनाराम पुत्र भारमलराम उम्र 38 वर्ष
48. धनाराम पुत्र देवीराम उम्र 40 वर्ष
49.नगाराम पुत्र वगताराम उम्र 38 वर्ष
50. नगाराम पुत्र चेलाराम उम्र 40 वर्ष
51.नरसिंगाराम पुत्र कुपाराम उम्र 38वर्ष
52. नवल किशोर पुत्र कुम्पाराम उम्र 28 वर्ष
53. पेलादराम पुत्र सुजानाराम उम्र 38 वर्ष
54. पांचीदेवी पत्नि सुजाराम उम्र 40 वर्ष
55. बगदाराम पुत्र चेनाराम उम्र 55 वर्ष
56. बेसराराम पुत्र सामीराम उम्र 75 वर्ष
57. बाबूलाल पुत्र भारताराम उम्र 38 वर्ष
58. भूराराम पुत्र भारमलराम उम्र 70 वर्ष
59.भैराराम पुत्र मोतीराम उम्र 70 वर्ष
60. मानाराम पुत्र जोगाराम उम्र 32वर्ष
61. भीखाराम पुत्र चेनाराम उम्र 70 वर्ष
62. भोपाराम पुत्र जोगाराम उम्र 38 वर्ष
63. मोहनीदेवी पत्नि कुम्पाराम उम्र 40 वर्ष
64. लाखाराम पुत्र गंगदाराम उम्र 50 वर्ष
65.विरधाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 75 वर्ष
66. वीरमाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 70 वर्ष
67. शंकराराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 32 वर्ष
68. समरथाराम पुत्र कूंपाराम उम्र 60 वर्ष
69. सवाराम पुत्र चेनाराम उम्र 70 वर्ष
70. सालूराम पुत्र लिखमाराम उम्र 45 वर्ष
71. सांवलाराम पुत्र करनाराम उम्र 38 वर्ष
72. हुकमाराम पुत्र भारमलराम उम्र 38 वर्ष
73. हटाराम पुत्र सुजानाराम उम्र 38वर्ष
74. हंसराज पुत्र सुजाराम उम्र 32वर्ष

जातियान कलबी निवासी मोतीसरा, पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

75. किशनाराम पुत्र रतनाराम उम्र 60 वर्ष
76. चोथाराम पुत्र होतीराम उम्र 38 वर्ष
77. दिनेश कुमार पुत्र जोगाराम उम्र 20 वर्ष
78. सांवलाराम पुत्र जोगाराम उम्र 21 वर्ष
79. लीलादेवी पत्नि जोगाराम उम्र 60 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

80. रमेश कुमार पुत्र जोगाराम उम्र 19 वर्ष
81. मेती पत्नि होतीराम उम्र 70 वर्षजातियान
राईका निवासी मोतीसरा
82. रूपाराम पुत्र भगाराम उम्र 70 वर्ष
83. सकाराम पुत्र भगाराम उम्र 70 वर्ष
जातियान सुथार निवासी मोतीसरा तहसील
सिणधरी जिला
बाड़मेर
84.शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा
सिणधरी
85 तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया व पाबूराम बेनीवाल,
   अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 13.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/6 रकबा 1.6099 हैक्टेयर, खसरा संख्या 245/7 रकबा 3.2198 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/6 रकबा 1.6099 हैक्टेयर, खसरा संख्या 245/7 रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/6 रकबा 1.6099 हैक्टेयर, खसरा संख्या 245/7 रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्राथी द्वारा मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/6 रकबा 1.6099 हैक्टेयर, खसरा संख्या 245/7 रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/6 रकबा 1.6099 हैक्टेयर, खसरा संख्या 245/7 रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076—2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/6 रकबा 1.6099 हैक्टेयर, खसरा संख्या 245/7 रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी